कम्प्यूटर प्रपत्र सं० 1415007 दि० 24-04-2014

पत्र सं0-आई0टी0/एन0आई0सी0साफ्टवेयर/2014-15/ 48 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(आई0टी0-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :दिनांक ::23 अप्रैल, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) / (कारपोरेट सर्किल)
<u>वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश</u>

मुख्यालय द्वारा पंजीयन तथा पंजीयन में संशोधन के संबंध में आन लाइन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके हैं। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि पंजीयन के निरस्तीकरण से संबंधित नोटिस तथा पंजीयन को निलम्बित किए जाने संबंधी आदेश भी आन लाइन निर्गत किए जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कर निर्धारण की धारा-28 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी , विधिसंगत तथा अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जाता है कि धारा-28 के नोटिस तथा धारा-29 के नोटिसों को भी आन लाइन जारी किया जाए।

उपर्युक्त नोटिसों से संबंधित मॉड्यूल विभागीय सर्वर पर उपलब्ध है। इन नोटिसों को जारी करने के लिए निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही निष्पादित की जाएगी -

1. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Vyas Central में Sector User के रुप में प्रयोग किये जा रहे Login से enter किया जायेगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी का User ID तथा Password नहीं जेनरेट किया गया है तो ऐसा कर निर्धारण अधिकारी संबंधित लोकेशन में Local Administrator की सहायता से User ID तथा Password को Generate करा सकता है।

2. उक्त User ID तथा Password को enter करते हुए Vyas Central में Login करके Main Menu के RC & Assessment Option के Sub-Menu में Notice / Order Link पर क्लिक किया जाएगा।

3. Notice/ Order Link पर क्लिक करने पर Menu Screen पर निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे।

(1) Notice for Cancellation of Registration

(2) Order for Suspension of Registration

(3) Notice u/s 28 of U.P. VAT Act , 2008

(4) Notice u/s 29 of U.P. VAT Act , 2008

इसके अतिरिकत Reprint Column के अन्तर्गत भी उक्त चारों विकल्पों के Reprint के Option उपलब्ध होंगे।

4. Notice for Cancellation of Registration में Click करने पर उपलब्ध Screen में व्यापारी का TIN अंकित करने पर व्यापारी की फर्म का नाम तथा पता डेटाबेस से स्वत: अंकित हो जाएगा। इसके पश्चात जिन कारणों से पंजीयन निरस्तीकरण किया जाना है , उन कारणों के सम्मुख स्थित चेकबाक्स पर Tick किया जायेगा। Screen पर उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य कारण का उल्लेख आवश्यक हो तो उसे Screen के निचले भाग में उपलब्ध Text Field में Unicode में अंकित कर तथा जिस तिथि को प्रश्नगत प्रकरण में व्यापारी को उपस्थित होना है उस दिनांक को कार्यालय स्थल की प्रविष्टियाँ अंकित करने के पश्चात

Save बटन पर Click किया जायेगा। इसके पश्चात Print पर Click करके Notice का Print out लिया जा सकता है।

5 पंजीयन के निलम्बन संबंधी आदेश के आन लाइन निर्गत किए जाने के लिए **"Order for Suspension of Registration "** में Click करके व्यापारी का TIN अंकित किया जाएगा। TIN अंकित करते ही व्यापारी का नाम तथा पता डेटा बेस से स्वत: ही अंकित हो जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में पंजीयन निरस्तीकरण के कारणों को Text Field में विस्तार से यूनीकोड में अंकित किया जा सकता है। इसके पश्चात Submit बटन पर Click करके Order का Print out लिया जा सकता है।

6. धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के लिए " **Notice U/S 28 Of UP VAT Act 2008 पर Click** " करके व्यापारी का TIN अंकित करने पर व्यापारी का नाम तथा पता Data Base से स्वत: अंकित हो जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन Dropdown से किया जायेगा। व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये कर निर्धारण प्रपत्रों/पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत नोटिस जारी करने के संबंध में संबंधित कारणों के सम्मुख स्थित चेकबाक्स पर Tick किया जायेगा। आवश्यकतानुसार Text Field के विवरण भी यूनीकोड में अंकित किए जायेंगे। नोटिस में व्यापारी की अपेक्षित उपस्थिति की दिनांक तथा कार्यालय स्थल के विवरणों का उल्लेख करने के पश्चात Save बटन पर Click करके प्रश्नगत नोटिस का Printout निकाला जा सकता है।

7. धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के लिए **"Notice U/S 29 Of UP VAT Act 2008"** पर Click करके व्यापारी का TIN अंकित करने पर व्यापारी का नाम तथा पता Data Base से स्वत: अंकित हो जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन Dropdown से किया जायेगा। तत्पश्चात् कर निर्धारण वर्ष का चयन Dropdown से किया जायेगा। विक्रय धन पर कर न लग पाने के कारणों का अंकन Text Field में अपेक्षानुरूप किया जायेगा। नोटिस में इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की दो स्थितियों का उल्लेख है जिनके लिए पृथक-पृथक Text Field दिए गए हैं। इनमें अपेक्षानुरूप अंकन किए जाने से पहले इन फील्ड्स के ऊपर दिए गए चेकबाक्स में Tick करना आवश्यक है। इसके पश्चात संबंधित कारणों के सम्मुख स्थित Check box पर Tick किया जायेगा। यदि प्रकरण में एक से अधिक कारण विद्यमान हैं तो तदनुसार ही Check box पर Tick किया जा सकता है।। नोटिस में व्यापारी की अपेक्षित उपस्थिति की दिनांक तथा कार्यालय स्थल के विवरणों का उल्लेख करने के पश्चात Save बटन पर Click करके प्रश्नगत नोटिस का Printout निकाला जा सकता है।

8. कर निर्धारण अधिकारी को यदि साफ्टवेयर से Generate किये गये उपर्युक्त Notice अथवा आदेश के पुन: प्रिन्ट आउट की आवश्यकता है तो संबंधित लिंक के Reprint Option पर Click करके इनका Print out निकाला जा सकता है।

अत: तत्काल व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को उपर्युक्त प्रक्रिया से भिज्ञ कराना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15 मई, 2014 से उपर्युक्त से संबंधित सभी नोटिस तथा आदेश आन लाइन ही निर्गत किए जायेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए

22.4.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश